

न्यायालय:-अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 34/2014 क्लेम

संस्थित दिनांक 09-10-2014

महेन्द्र रावत पुत्र श्री धाधू सिंह रावत, आयु 38 साल, निवासी ग्राम बिरखडी, तहसील गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)।

----- आवेदक

बनाम

1. रामसिंह पुत्र श्री हरकण्ठ सिंह गुर्जर, आयु 22 वर्ष, निवासीग डांग सरकार, तहसील गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)।

-----वाहन चालक

2. राधामोहन शर्मा पुत्र श्रीचन्द्र शर्मा, आयु 42 वर्ष, निवासी बी ब्लॉक शास्त्री नगर भिण्ड, जिला भिण्ड म०प्र०।

-----वाहन मालिक

3. दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी मण्डल कार्यालय-2 ग्वालियर (म०प्र०)।

-----बीमा कम्पनी

4. कल्ली गुर्जर उर्फ रामनारायण सिंह पुत्र जगदीश सिंह गुर्जर, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम डांग सरकार, तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

वाहन मालिक

-----अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री के०सी०उपाध्याय अधिवक्ता

अनावेदक कं० 1, 2 एक पक्षीय।

अनावेदक कं० 3 द्वारा श्री आर.के.वाजपेई अधिवक्ता।

अनावेदक कं० 4 द्वारा श्री डी.एस.जादौन अधिवक्ता।

//अधि-निर्णय//

//आज दिनांक 12-04-2016 को घोषित किया गया //

01. आवेदक महेन्द्र रावत की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें आवेदक ने महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा टैक्टर क्रमांक एम.पी. 30 ए.ए-5301 के स्वामी चालक एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध मोटरयान दुर्घटना से आई हुई गंभीर उपहति की क्षतिपूर्ति हेतु 3,72,000/- रुपए एवं व्याज दिलाए जाने बावत् क्लेम आवेदनपत्र पेश किया है।

02. यह अविवादित है कि प्रश्नाधीन वाहन टैक्टर क्रमांक एम.पी. 30 ए.ए-5301 का अनावेदक क्रमांक 4 स्वामी था जिसे कि अनावेदक क्रमांक- 2 के द्वारा उसे क्रय करने का करार कर दुर्घटना के समय उसके आधिपत्य में था। उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था।

03. आवेदक का आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 28.03.2014 को सुबह 08:30 बजे आवेदक अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.बी. 1798 से अपने घर ग्राम बिरखडी से गोहद चौराहा स्थित बाइडिंग की दुकान पर जा रहा था, साथ में कलियान रावत बैठा था। जैसे ही वह दिलीपसिंह का पुरा के सामने पहुँचा तो रोड पर आगे टैक्टर के चालक ने बिना संकेत दिए टैक्टर को मोड़ दिया जिससे आवेदक की मोटरसाइकिल में टक्कर लगी जिससे उसके बाएँ हाथ की कलाई, एवं बाएँ पैर के घुटने की परिया में चोट लगकर फ्रेक्चर हो गया एवं शरीर में अन्य जगह भी चोटें आईं। दुर्घटना की रिपोर्ट आवेदक के द्वारा गोहद चौक थाने में देहातीनालसी के रूप में की गई जिस पर से अप0क्रं0 84/2014 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध कर अभियोगपत्र जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय गोहद में अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध पेश किया गया है जो कि प्र0क्रं0 415/14 ई0फौ0 पर दर्ज होकर संचालित है।

04. आवेदक ने आवेदनपत्र में आगे यह भी बताया है कि उपरोक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आई हुई चोटों के कारण आवेदक के बाएँ हाथ की कलाई एवं बाएँ पैर की परिया में चोट होकर फ्रेक्चर हो गया था जिसका प्रारंभिक उपचार बाद सिविल हॉस्पिटल ग्वालियर में दिनांक 28.03.14 से दिनांक 04.04.14 तक भर्ती रहा है। आवेदक को आई हुई चोटों के कारण वह चलने फिरने में असमर्थ है और कार्य करने में अक्षम हो गया है। वह मोटर बाइडिंग का कार्य नहीं कर पा रहा है और दुकान बंद है जिससे उसका किराया भी वहन करना पड़ रहा है। आवेदक मोटर बाइडिंग का कार्य कर 8000/- रुपए प्रतिमाह आय अर्जित करता था

जिससे वह बंचित हो गया है। आवेदक को दुर्घटना में आई हुई चोटों के इलाज पर करीब 78000/- रूपए एवं पोष्टिक आहार पर खर्च रूपए 15000/- एवं इलाज के दौरान देख रेख के लिए रहे अटेण्डर पर हुआ खर्चा 5000/- रूपए एवं इलाज हेतु ले जाने पर परिवहन खर्चा 4000/- रूपए व्यय हुआ है एवं आवेदक की मानसिक व शारीरिक वेदना की आर्थिक क्षति 10000/-रूपए एवं स्थाई अपंगता की क्षति की राशि हेतु 2,00,000/- रूपए इस प्रकार कुल 3,72,000/- रूपए उपरोक्त दुर्घटना में जो कि अनावेदक क्रं01 के द्वारा अनावेदक क्रं02 के वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाने के फलस्वरूप घटित हुयी है जो कि अनावेदक क्रं03 बीमा कंपनी के यहां बीमित है। अनावेदकगण से संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

05. अनावेदक क्रं0 1 व 2 ने अपने जवाब में स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त आवेदक के आवेदनपत्र के अभिकथन को इन्कार करते हुए उक्त दुर्घटना टैक्टर क्रमांक एम.पी. 30 ए.ए. 5301 के चालक अनावेदक क्रं01 के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाने के फलस्वरूप घटित नहीं हुयी है और उक्त वाहन से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना भी घटित नहीं हुयी है उनके वाहन के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की गयी है। ऐसी दशा में आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

06. अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी ने भी आपने जवाब में आवेदक के आवेदनपत्र के अभिकथनों को अस्वीकार करते हुए यह बताया है कि प्रश्नाधीन वाहन टैक्टर क्रमांक एम. पी. 30 ए.ए. 5301 से कोई दुर्घटना घटना दिनांक को नहीं हुई है। उक्त वाहन को षड्यंत्र पूर्वक बाद में फंसाया गया है। प्रश्नाधीन वाहन टैक्टर के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था इस कारण बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत वाहन चलाया जा रहा था इस कारण बीमा कम्पनी का दायित्व नहीं है। आहत को कोई स्थाई अपंगता भी नहीं आई है और न ही इस संबंध में कोई प्रमाणपत्र भी पेश किया गया है। आवेदक के द्वारा मोटर बाइडिंग आदि का काम नहीं किया जाता था और उसकी कोई आय नहीं थी। उक्त दुर्घटना स्वयं आवेदक की उपेक्षा व लापरवाही से घटित हुई है। प्रश्नाधीन वाहन का बीमा कामर्सियल व्हीकल मालयान के रूप में बीमित था जिस पर मात्र चालक का प्रीमियम दिया जाता है, जबकि उक्त वाहन का उपयोग यात्री ले जाने में किया जा रहा था जिस कारण भी बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। प्रश्नाधीन वाहन के मालिक के पास उक्त वाहन का वैध पंजीयन भी नहीं था जिस कारण बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लेखन होने से अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं है। आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. आवेदकपक्ष एवं अनावेदक पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी है जिस पर निकाले गये निष्कर्ष उनके सामने अंकित किये जा रहे हैं ।

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 28.03.2014 को साढ़े आठ बजे दिलीप सिंह का पुरा भिण्ड ग्वालियर हाइवे थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में आवेदक क्रमांक 1 के द्वारा अनावेदक क्र.2 के स्वामित्व के वाहन टैक्टर क्रमांक एम.पी. 30 ए ए 5301 को उसके स्वामी की सहमति से तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक को टक्कर मारकर गंभीर उपहति कारित की?	
2	क्या उक्त दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप आवेदक को स्थाई अशक्तता कारित हुई?	
3	क्या प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है?	
4	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन टैक्टर क्रमांक एम.पी. 30 ए.ए 5301 को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था? यदि हाँ तो प्रभाव?	
5	क्या आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है? यदि हाँ तो किस से एवं कितना कितना?	
6	सहायता एवं व्यय?	

//निष्कर्ष के आधार//बिन्दु क्रमांक- 01 :-

08. आवेदक महेन्द्र रावत आवेदक साक्षी क्रमांक 1 ने अपने साक्ष्य कथन में उसके द्वारा आवेदनपत्र में किए गए अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताया है कि दिनांक 28.03.2014 को सुबह 08:30 बजे वह अपने घर बिरखडी के लिए मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.बी. 1798 से जा रहा था, उसके साथ कल्याण रावत भी बैठा था। जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल दिलीपसिंह के पुरा के सामने पहुँची तो टैक्टर चालक अनावेदक क्रमांक 1 टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर बिना किसी संकेत के दिलीपसिंह के पुरा की तरफ मोड़ दिया जिससे उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर लग गई और वह गिर पड़ा जिससे उसके बाएँ हाथ की कलाई एवं बाएँ पैर के घुटने में गंभीर चोट लगी और फ्रैक्चर हो गया, उसे शरीर पर अन्य जगह भी चोटें आई थी। घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में की थी। दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा टैक्टर महेन्द्रा क्रमांक एम.पी. 30 ए.ए. 5301 को तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण घटित हुई। आवेदक के द्वारा आपराधिक प्रकरण से प्राप्त दस्तावेज जिनमें अभियोगपत्र की प्रतिलिपि प्र.पी. 1, एफ.आई.आर. प्र.पी. 2, देहातीनालसी प्र.पी. 3, आरोपी रामसिंह का गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 4, टैक्टर का जप्ती पत्रक प्र.पी. 5, नक्शामौका प्र.पी. 6, एम.एल.सी. प्र.पी. 7, एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 8, आरोपी के जमानत मुचलके प्र.पी. 9, टैक्टर की मैकेनिकल जाँच रिपोर्ट प्र.पी. 10, वाहन स्वामी के द्वारा दिया गया प्रमाणीकरण प्र.पी. 11, सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 12 एवं डिस्चार्ज टिकिट प्र.पी. 13 पेश किया गया है।

09. उक्त साक्षी के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में साक्षी इस बात को स्वीकार किया है कि रिपोर्ट करते समय टैक्टर के नम्बर का उल्लेख नहीं कराया था। साक्षी के द्वारा स्वतः बताया गया है कि उसे यह मालूम था कि टैक्टर कल्ली गुर्जर का है। इस संबंध में देहातीनालसी रिपोर्ट प्र.पी. 3 में भी कल्ली गुर्जर के टैक्टर होने का उल्लेख आया है। यदि साक्षी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो कि घटना के आधा घण्टे के अंदर दर्ज कराई गई है उसमें टैक्टर के नम्बर का उल्लेख नहीं किया जा सका है तो मात्र इस आधार पर जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन किस के आधिपत्य का है इस बारे में और वाहन के प्रकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। टैक्टर के नम्बर का उल्लेख न होने से इस संबंध में कोई विपरीत अवधारणा नहीं की जा सकती है। साक्षी महेन्द्र रावत के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है जिससे कि उसके कथनों की

विश्वसनीयता प्रभावित होती हो।

10. उपरोक्त संबंध में आवेदक साक्षी कलियानसिंह साक्षी क्रमांक 2 जो कि घटना के समय आवेदक के साथ था के द्वारा भी आवेदक के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 030 ए.ए. 5301 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 रामसिंह ने ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर बिना संकेत दिए दिलीपसिंह के पुरा की तरफ मोड़ दिया जिससे महेन्द्र की मोटरसाइकिल में टक्कर लग गई और उसे बाएं हाथ और बाएं पैर में चोटें आकर फ्रैक्चर हो गया। उसने एम्बूलेंस 108 बुलवाया था और महेन्द्र को अस्पताल ले जाया गया था। उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में बताया है कि जब रिपोर्ट की थी तो उस समय ट्रैक्टर का नम्बर मालूम नहीं था इस कारण उसका नम्बर नहीं लिखाया गया था, ट्रैक्टर कल्ली गुर्जर का होना पता चला था।

11. साक्षी कलियानसिंह के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में साक्षी ट्रैक्टर का नम्बर याद न होना बता रहा है, किन्तु साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि ट्रैक्टर कल्ली गुर्जर का था और कल्ली गुर्जर को वह पहले से जानता पहचानता है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि फरियादी महेन्द्र रावत ने अपनी मोटरसाइकिल तेजी व लापरवाही से चलाकर किसी अज्ञात वाहन में टक्कर मारी थी और वह सुझाव से भी इन्कार किया है कि घटना के समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।

12. इस प्रकार आवेदक महेन्द्र रावत अ0सा0 1 के कथन जिसकी की सम्पुष्टि साक्षी कलियानसिंह आ0सा0 2 के कथन के आधार पर होती है में स्पष्ट रूप से प्रश्नाधीन वाहन के द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की जिसमें आवेदक महेन्द्र रावत को चोटें पहुँचाकर उपहति कारित करने के संबंध में स्पष्ट रूप से आया है।

13. आवेदक के कथन की सम्पुष्टि उसकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भी होती है जो कि घटना के पश्चात् घटना की देहातीनालसी रिपोर्ट प्र.पी. 2 जो कि घटना के आधा घण्टे के अंदर थाना गोहद चौराहा पर दर्ज कराई गई है उसमें स्पष्ट रूप से ट्रैक्टर जो कि कल्लू उर्फ कल्ला गुर्जर निवासी ग्राम डांग का होना और उसके चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित कर महेन्द्र को चोटें पहुँचाई जाकर उपहति कारित करने के संबंध में उल्लेख आया है। आहत महेन्द्र को आई हुई उपहति की पुष्टि एम.एल.सी. रिपोर्ट प्र.पी. 7 के आधार पर भी होती है तथा उसे अस्थिभंग होना एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 8 से प्रमाणित होता है। घटना के पश्चात् अनावेदक क्रमांक 1 की गिरफ्तारी की गई है जो कि गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 4 से स्पष्ट होता है तथा आरोपी को जमानत मुचलके

प्र.पी. 9 के अनुसार जमानत पर छोड़ा गया है तथा प्रश्नाधीन वाहन टैक्टर और उसके बीमा व रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति तथा अनावेदक क्रमांक 1 का ड्राइविंग लाइसेंस जप्तीपत्रक प्र.पी. 5 के अनुसार जप्त किया गया है। घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 6 के अनुसार बनाया गया है जिसमें कि घटनास्थल की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। घटना के समय वाहन को उसके मूल स्वामी राधामोहन शर्मा के द्वारा कल्लू गुर्जर उर्फ रामनारायण को बिक्रय कर देना तथा घटना के समय टैक्टर अनावेदक क्रमांक 1 रामसिंह के द्वारा चालाए जाने के संबंध में प्रमाणीकरण प्र.पी. 11 राधामोहन शर्मा के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर भी दुर्घटना के समय टैक्टर कल्ली उर्फ रामनारायण गुर्जर जो कि उसका मूल स्वामी था के द्वारा बिक्रय के कगार के अधीन कल्ली उर्फ रामनारायण को उसका आधिपत्य देना स्पष्ट होता है और घटना के समय टैक्टर कल्ली उर्फ रामनारायण के ही आधिपत्य में होना स्पष्ट होता है।

14. आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रतिखण्डन में अनावेदक पक्ष के द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। यहाँ तक प्रश्नाधीन वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 1 जो कि प्रतिखण्डन में सर्वोत्तम साक्षी हो सकता था के कथन अनावेदक पक्ष की ओर से नहीं कराया गया है। इस प्रकार दुर्घटना के संबंध में और दुर्घटना में आवेदक को चोटें आकर उपहति कारित करने के संबंध में आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का प्रतिखण्डन नहीं होता है।

15. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा अपने तर्क में यह आधार लिया गया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में कही भी टैक्टर के क्रमांक का उल्लेख नहीं है और न ही टैक्टर केचाल के नाम का उल्लेख है। उक्त टैक्टर को बाद में घटना में झूठा लिप्त किया गया है। इस बिन्दु पर बीमा कम्पनी के द्वारा आई.एल.आर. 2008 म0प्र0 2367 नेशनल इंश्योरेस कम्पनी लिमिटेड बना सैतु बाई, 2015(1) ए.सी.सी.डी 460 विकास खोदेकर वि0 विभास बगैरह, 2009(2) ए.सी.सी.डी. 792 यूनाइटेड इंडिया क.लि. वि0 लाखा बाई पेश किया है।

16. इस संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में टैक्टर के क्रमांक अथवा टैक्टर चालक के नाम का उल्लेख नहीं है, किन्तु जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट देहातीनालसी रिपोर्ट प्र.पी. 2 के रूप में घटना के तुरन्त पश्चात् दर्ज करई गई है उसमें स्पष्ट रूप से टैक्टर कल्ली उर्फ कल्ली गुर्जर का होना और उसके चालक के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित किया जाना के संबंध में उल्लेख आया है और घटना के फरियादी व चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा भी इस

संबंध में स्पष्ट रूप से अपने कथनों में बताया है। दुर्घटना घटित होते समय यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि आहत व्यक्ति वाहन का नम्बर देखकर उसे याद कर सके, बल्कि उस समय चोट के कारण उसकी स्थिति ऐसी नहीं रहती है कि वह वाहन के नम्बर को याद कर सके। इस परिप्रेक्ष्य में यदि वाहन के नम्बर का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं आया है तो इससे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है और मात्र इस आधार पर प्रश्नाधीन वाहन को घटना में झूठा लिप्त किया जाने का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 3 के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य एवं परिस्थितियाँ वर्तमान प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न होने से वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते हैं।

17. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाए जाने से आवेदक को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर गंभीर उपहति कारित की। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण उत्तर "हाँ" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 02:-

18. वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार आवेदक पर है जिसके द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि दुर्घटना के फलस्वरूप आई चोटों से उसे स्थाई अशक्तता कारित हुई। इस संबंध में आवेदक की ओर से साक्षी गंगासिंह बंजारा आ0सा0 3 के कथन कराए जो कि उसकी गोहद चौराहा स्थिति दुकान पर मजदूरी का काम करता है के द्वारा बताया है कि दुर्घटना में आई चोटों से महेन्द्र रावत को बाँए हाथ की कलाई और बाँए हाथ के पैर की घुटने की परिया में फ्रैक्चर हो गया था जिससे वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया था और पहले की स्थिति बाँया हाथ व पैर कमजोर हो गए थे, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उसे दुर्घटना में फ्रैक्चर हो गया था उसे स्थाई अशक्तता आना नहीं माना जा सकता है। इस बिन्दु पर **कमल कुमार जैन वि० ताजुद्दीन बगैरह 2004(2) एम.पी.एल.जे. 472** में माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि मात्र अस्थिभंग होने के आधार पर उसे स्थाई अशक्तता आना नहीं माना जा सकता है। ऐसी दशा में मात्र इस बिन्दु पर आवेदक के द्वारा किये गए अभिवचन और उसके कथन के आधार पर जबकि उसे स्थाई अशक्तता कारित होने की पुष्टि किसी भी चिकित्सीय प्रमाण या कोई दस्तावेजी आधार पर नहीं हुई हो उसे स्थाई अशक्तता कारित होने का तथ्य प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 3 :-

19. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है जो कि उसके अनुसार कल्लू उर्फ कल्ली गुर्जर के टैक्टर से घटना होना बताया जा रहा है, उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, उसके अभाव में प्रकरण संचालन योग्य नहीं है।
20. उपरोक्त संबंध में यह स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा कल्ली गुर्जर उर्फ रामनारायण सिंह को पक्षकार क्रमांक 4 के रूप में संयोजित किया जा चुका है। ऐसी दशा में जबकि कल्ली गुर्जर प्रकरण में पक्षकार के रूप में है, प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष होना नहीं माना जा सकता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 04:-

21. वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी पर है जिसके द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन टैक्टर के चालक के पास उसे चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं था। इसके अतिरिक्त वाहन रूट परिमित एवं फिटनेश के बिना चलाया जा रहा था और उनके द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि उक्त टैक्टर कामर्शियल माल यान के रूप में बीमित था जिसका कि परिमित और फिटनेश होना जरूरी था। ऐसी दशा में बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होने से बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं है। अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा सत्यप्रकाश गोयल सहायक ग्रेड-2 आर.टी.ओ. कार्यालय भिण्ड तथा रविन्द्र कुमार माइक्रो शाखा इन्चार्ज गोहद के कथन कराए गए हैं। साक्षी सत्यप्रकाश गोयल आर.टी.ओ. कार्यालय भिण्ड सहायक ग्रेड-2 के द्वारा यह बताया गया है कि वाहन क्रमांक एम.पी. 30 ए.ए. 5301 उनके कार्यालय के अभिलेख के अनुसार राधामोहन शर्मा के नाम से रजिस्टर्ड है। उक्त वाहन व्यवसायिक गुड्स केरियर के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है, इस संबंध में प्रमाणीकरण प्र.डी. 1 उनके कार्यालय से दिया गया है जिसका रिकार्ड वह लेकर आया है जो कि प्र.डी. 2 है। उक्त वाहन का कोई भी रूट परिमित एवं फिटनेश प्रमाणपत्र नहीं था जिस संबंध में रिकार्ड प्र.डी. 3 है और फिटनेश के संबंध में दस्तावेज प्र.डी. 4 और परिमित के संबंध में दस्तावेज प्र.डी. 5 है। उक्त वाहन का दिनांक 28.03.2014 को कोई भी रूट परिमित और फिटनेश नहीं था। उपरोक्त संबंध में बीमा कम्पनी के अधिकारी रविन्द्र कुमार अ0सा0 2 के द्वारा भी बताया गया है कि प्रश्नाधीन वाहन व्यवसायिक

वाहन के रूप में बीमित था। घटना दिनांक को वाहन का कोई रूट परिमित और फिटनेश प्रमाणपत्र नहीं था। इस संबंध में परिमित का पर्टीकूलर प्र.डी. 5 एवं फिटनेश का पर्टीकूलर प्र. डी. 4 और रजिस्ट्रेशन का पर्टीकूलर प्र.डी. 1 और वाहन की प्रमाणित बीमा पॉलिसी प्र.डी. 6 है। इस कारण वपहन का उपयोग बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत किया जा रहा था।

22. साक्षी सत्यप्रकाश गोयल के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि रजिस्ट्रेशन टैक्टर का रजिस्ट्रेशन है, टैक्टर के साथ कोई ट्राली का रजिस्ट्रेशन था कि नहीं वह यह नहीं बता सकता है। इस संबंध में वाहन के रजिस्ट्रेशन पर्टीकूलर प्र.डी. 1 एवं प. डी. 2 से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन वाहन व्यवसायिक वाहन के रूप में पंजीबद्ध हुआ है। उक्त वाहन की बीमा पॉलिसी प्र.डी. 6 में भी वाहन कॉमर्शियल व्हीकल होकर गुड्स कैरियर के रूप में बीमित होना स्पष्ट होता है जो कि इस संबंध में बीमा कम्पनी के अधिकारी रविन्द्र कुमार अ0सा0 2 के कथन की पुष्टि उक्त आधार पर होती है। उपरोक्त वाहन जो कि कॉमर्शियल व्हीकल के रूप में है, उसका रूट परिमित एवं फिटनेश होना आवश्यक है, किन्तु उक्त वाहन का दुर्घटना दिनांक 28.03.2014 को कोई भी परिमित जारी होना अथवा उसका कोई फिटनेश होना दस्तावेज प्र.डी. 3, 4, 5 के परिप्रेक्ष्य में मौजूद होना नहीं पाया गया है। इस प्रकार घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन परिमित व फिटनेश के बिना चलाया जा रहा था स्पष्ट होता है।

23. आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया कि प्रश्नाधीन वाहन से जो दुर्घटना होनी बताई जा रही है उसमें तृतीय पक्ष को क्षति हुई है। घटना के समय टैक्टर के साथ ट्राली संलग्न नहीं था। ऐसी दशा में मात्र टैक्टर जो कि बिना ट्राली के है उसे व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा व्यक्त किया गया है कि मात्र इस आधार पर कि प्रश्नाधीन टैक्टर का परिमित या फिटनेश मौजूद नहीं है इस आधार पर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होना नहीं माना जा सकता है।

24. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा 2005(ii) चंद्रेश कुमार अग्रवाल वि0 योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव बगैरह, मिसलेनियश अपील क्रमांक 1031/2011 बजाज आलियॉन्स जनरल इंश्योरेंस वि0 मोहन यादव, 2010(1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. सतनामसिंह वि0 बजाज ऐलान्स पेश किए गए हैं। दुर्घटना के समय प्रश्नाधीन टैक्टर जो कि कॉमर्शियल व्हीकल के रूप में पंजीबद्ध है और उसका बीमा भी कॉमर्शियल व्हीकल के रूप में हुआ है। ऐसी दशा में प्रश्नाधीन वाहन जिसका कि परिमित एवं फिटनेश मौजूद नहीं था। निश्चित रूप से धारा 66 मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर वाहन चलाया जा रहा था जो कि धारा 149(2) एम.व्ही.एक्ट के तहत बीमा कम्पनी बचाव ले सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन परिमित एवं फिटनेश के बिना चलाए जाने से बीमा पॉलिसी की शर्तों का

उल्लघन होना पाया जाता है। प्रश्नाधीन वाहन दुर्घटना के समय मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघन कर परमिट व फिटनेश के बिना चलाया जा रहा था जबकि वाहन कॉमर्शियल वाहन के रूप में है। ऐसी दशा में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेतु दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। तदनुसार प्रश्नाधीन वाहन मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघन कर चलाया जाना पाया गया है। वादप्रश्न का निराकरण हॉ में करते हुए बीमा कम्पनी को प्रतिकर अदायगी के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 05:-

25. प्रकरण में पूर्ववती विवेचना एवं वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन वाहन टैक्टर जो कि अनावेदक क्रमांक 2 के नाम पर पंजीबद्ध है, किन्तु उक्त वाहन दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 4 के आधिपत्य में था और उसी के द्वारा उसका संचालन कराया जा रहा था। दुर्घटना के समय उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा लापरवाही एवं उतावलेपन से चलाते हुए दुर्घटना कारित करना प्रमाणित है। उक्त वाहन दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था।

26. दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदक को चोटें आकर उसे अस्थिभंग कारित होना प्रमाणित पाया गया है। यद्यपि आवेदक को कोई स्थाई अशक्तता उक्त दुर्घटना के कारण होना प्रमाणित नहीं है। दुर्घटना के कारण प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति की राशि का जहाँ तक प्रश्न है, आवेदक के द्वारा जो बिल एवं पर्चे पेश किए गए हैं वह 20115/- रूपए के हैं। उक्त राशि आवेदक को दिलाई जानी उचित होगी। इसके अतिरिक्त आवेदक दिनांक 28.03.2014 से 04.04.2014 तक अस्पताल में भर्ती रहा है जैसा कि इस संबंध में प्र.पी. 13 के डिस्चार्ज टिकिट से स्पष्ट है। आवेदक को इलाज के दौरान आने जाने पर व्यय हुआ होगा और उसे पोष्टिक आहार का सेवन करना पड़ा होगा। इसके अतिरिक्त उसे चोटों के कारण शारीरिक पीडा भी सहन करनी पड़ी होगी। उपरोक्त सभी मदों में आवेदक को राशि 8000/- दिलाई जानी उचित होगी। आवेदक को यद्यपि स्थाई अशक्तता आनी प्रमाणित नहीं है, किन्तु निश्चित रूप से उसे चोट लगने से फ्रेक्चर हुआ है और जिससे वह कम से कम दो माह तक अपना सामान्य काम काज नहीं कर पाया होगा। आवेदक की कोई निश्चित आमदनी यद्यपि प्रमाणित नहीं है, किन्तु आवेदक जो कि अधेड़ उम्र का है वह मेहनत आदि कर 3000/- रूपए प्रति माह अर्जित कर लेता होगा ऐसा माना जा सकता है। इस प्रकार आमदनी के नुकसान के मद में 6000/- रूपए आवेदक को दिलाया जाना उचित होगा। इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि $20115 + 8000 + 6000 = 34,115/-$ रूपए जो कि राउण्ड फिगर में

34,100/-रुपए आवेदक को अनावेदकगण से संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी पाया जाता है।

27. उपरोक्त प्रतिकर की राशि अदायगी का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में पूर्ववर्ती विवेचना एवं बिन्दु क्रमांक 4 में निकाले गए निष्कर्ष से यह प्रमाणित होना पाया गया है कि दुर्घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन जो कि कॉमर्शियल वाहन के रूप में है का परमिट एवं फिटनेस नहीं था। ऐसी दशा में जबकि प्रश्नाधीन वाहन घटना के समय मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था। बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेतु दायित्व होना नहीं पाया गया है। प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1, 2 व 4 का संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से होगा। तदनुसार इस बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

28. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष के आलोक में आवेदक द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रतिकर अदायगी बावत् आवेदनपत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है—

1. आवेदक अनावेदक क्रमांक 1, 2 व 4 से संयुक्त एवं प्रथक प्रथम रूप से प्रतिकर के रूप में 34,100/- रुपए की राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. उक्त राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी बसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।
3. उपरोक्त प्रतिकर की राशि जमा होने पर उसका 60 प्रतिशत भाग तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीकृत बैंक के सावधि खाते में जमा किए जाए। शेष राशि बचत बैंक खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जाए।
4. अभिभाषक शुल्क 1000/- रुपए निर्धारित की जाती है।
तदनुसार व्यय तालिका बनायी जाये।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अति0मोटर दुर्घटना दावा अधि0
गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अति0मोटर दुर्घटना दावा अधि0
गोहद जिला भिण्ड